बी.एस. संधू

बनाम

भारत सरकार वगैरह

(सिविल अपील संख्या 4682-4683/2005 और ईटीसी)।

21 मई 2014.

[ए. के. पटनायक और फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, जे.जे.]

पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900-एस.एस. 3, 4 और 5- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980- भूमि की स्थिति-वन भूमि या गैर-वन भूमि- आरोप है कि अपीलकर्ता ने पर्यावरण और वन कानूनों का उल्लंघन करते हुए भूमि उपयोग को बदलकर गांव 'के' में गोल्फ क्लब विकसित किया।- रिट याचिका-उच्च न्यायालय ने उस भूमि को धारा के तहत अधिसूचित माना। पीएलपी अधिनियम की धारा 3 और पीएलपी अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचित निषेधात्मक निर्देशों द्वारा विनियमित, वन भूमि है'- क्लब को बंद करने और अवैध रूप से निर्मित इमारत को ध्वस्त करने के लिए निर्देश जारी किए गए-की शुद्धता-आयोजित: उच्च का पता लगाना न्यायालय ने सही नहीं किया और खारिज कर दिया-यह मुद्दा कि क्या जिस भूमि पर गोल्फ क्लब स्थित था, वह 25.10.1980 को वर्गीकरण या स्वामित्व के बावजूद वन भूमि थी, तथ्यात्मक प्रश्न है-उच्च न्यायालय को सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय लेना चाहिए था 25.10.1980 और

इसके समक्ष दायर अन्य सामग्री-हालाँकि, उच्च न्यायालय ने पीएलपी अधिनियम, 1900 के भूमि को वन विभाग के अधीन दिखाया गया था क्योंकि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से दशकों पहले पीएलपी अधिनियम, 1900 के तहत भूमि को बंद कर दिया गया था जो सही वन नहीं था।

पर्यावरण का उल्लंघन करते हुए गोल्फ क्लब के अपीलकर्ता-मालिक/प्रबंध निदेशक द्वारा चंडीगढ़ के पास गांव 'के' में फॉरेस्ट हिल गोल्फ एंड कंट्री क्लब के विकास के संबंध में एक मुद्दा उठा।

और वन कानूनों के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश भी। उच्च न्यायालय ने माना कि गांव 'के' की पूरी भूमि धारा के तहत अधिसूचित है। पंजाब भूमि संरक्षण 1900 अधिनियम के 3 और यू/एसएस के तहत अधिसूचित निषेधात्मक निर्देशों द्वारा विनियमित। पीएलपी अधिनियम के 4 और 5, 'वन भूमि' हैं और के प्रावधानों को आकर्षित करते हैं। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के 2 यदि 'गैर-वन उद्देश्य' के लिए उपयोग करने की मांग की गई है; पंजाब सरकार के वन विभाग के रिकॉर्ड में, गाँव की पूरी भूमि को 'वन भूमि' दिखाया गया था और भूमि की प्रकृति के संबंध में राजस्व सी रिकॉर्ड में प्रविष्टियाँ राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा बदल दी गई थीं। अपीलकर्ता के आदेश पर पंजाब सरकार की; और टी.एन. गोदावर्मन के मामले में, इस न्यायालय ने वन (संरक्षण)

अधिनियम, 1980 की धारा 2 में आने वाले 'वन भूमि' शब्द को न केवल शब्दकोश अर्थ में समझे जाने वाले 'वन' को शामिल करने के लिए परिभाषित किया है, बल्कि इसमें दर्ज किसी भी क्षेत्र को भी शामिल किया है। स्वामित्व की परवाह किए बिना सरकारी रिकॉर्ड में वन। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को 'फॉरेस्ट हिल गोल्फ एंड कंट्री क्लब' को तुरंत बंद करने और तीन महीने की अवधि के भीतर सभी अवैध रूप से निर्मित इमारतों को ध्वस्त करने और संबंधित भूमि का 'प्रबंधन' और 'नियंत्रण' राज्य को सौंपने का निर्देश दिया। वन मंडल। इसलिए अपीलकर्ता, कृषकों, गांव के घर मालिकों और दुकान मालिकों और किसानों के संघ द्वारा तत्काल अपील।

न्यायालय ने अपील की अनुमति देते हुए अभिनिर्धारित किया

1.1. पंजाब भूमि संरक्षण 1900 अधिनियम की धारा 3 की भाषा से यह स्पष्ट हो जायेगा शिवालिक पर्वत श्रृंखला के भीतर या उसके निकट स्थित किसी भी स्थानीय जी क्षेत्र के बेहतर संरक्षण और संरक्षण के लिए, जो उस सीमा में जंगलों के विनाश या "चो" की कार्रवाई से प्रभावित होने के लिए उत्तरदायी है। ऐसी सरकार अधिसूचना द्वारा तदनुसार निर्देश दे सकती है। अभिव्यक्ति "स्थानीय क्षेत्र" को पीएलपी अधिनियम, 1900 में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें न केवल शामिल हो सकता है

वन भूमि बल्कि अन्य भूमि भी। अधिनियम, 1900 की धारा 4 में, स्थानीय सरकार को सामान्य या विशेष आदेश देने, खंड (ए), (बी), (सी), (डी), (ई) में उल्लिखित विभिन्न गतिविधियों को अस्थायी या स्थायी रूप से विनियमित करने, प्रतिबंधित करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया गया था।), (एफ) और (जी)। इन खंडों को पढ़ने से पता चलता है कि धारा 3 के तहत अधिसूचित क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित कस्बों और गांवों के निवासियों द्वारा खेती, भेड़-बकरियों को चराने और इमारतों के निर्माण जैसी गतिविधियों को किसी सामान्य या विशेष द्वारा विनियमित, प्रतिबंधित या प्रतिबंधित किया जा सकता है। स्थानीय सरकार का आदेश. ये सभी गतिविधियाँ सामान्यतः जंगलों में नहीं की जातीं। पीएलपी अधिनियम, 1900 की धारा 5 के तहत, स्थानीय सरकार को विशेष अयस्क द्वारा अस्थायी या स्थायी रूप से किसी भी भूमि की खेती को विनियमित करने, प्रतिबंधित करने या विरोध करने या भेड़ और बकरियों के अलावा आम तौर पर मवेशियों को रखने, झुंड, चरागाह रखने का अधिकार दिया गया था। गतिविधियाँ भी आम तौर पर सामने नहीं की जाती हैं, इसलिए, भूमि जो पीएलपी अधिनियम, 1900 की धारा 3 के तहत अधिसूचित है और पीएलपी अधिनियम, 1 की धारा 4 और 5 के तहत सथानीय सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित है, वह 'वन' हो भी सकती है और नहीं भी। भूमि'। इसलिए, उच्च न्यायालय का निष्कर्ष है कि गांव 'के', वाई की पूरी भूमि पीएलपी अधिनियम, 1 की धारा 3 के तहत

अधिसूचित की गई है और इसकी धारा 4 और 5 के तहत निषेधात्मक निर्देशों द्वारा विनियमित है, 'वन भूमि' है। क्या कानून में सब कुछ सही नहीं है? टी.एन.गोदावर्मन थिरुमुल्कपा यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में न्यायालय के दिनांक 12.12.1996 के आदेश के अनुसार राज्य पंजाब में वन क्षेत्रों की सूची में पूरे गांव 'के' को शामिल करने का आधार। कानूनी तौर पर सही नहीं है. इसी तरह, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि विला 'के' में पूरी भूमि, पीएलपी 1900 की धारा 3 के तहत अधिसूचित की गई है और उक्त अधिनियम की धारा 4 और 5 के नियामक शासन के तहत 'वन भूमि' है, भी कानूनी रूप से सही है। सही। उच्च न्यायालय एफओ की धारा 2 में 'वन' और 'वन भूमि' के माप की सराहना करने में विफल रहा

(संरक्षण) अधिनियम, 1980 जैसा कि इस न्यायालय ने टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुल्कपाद बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में दिनांक 12.12.1996 के आदेश में दिया था। आदेश से पता चलेगा कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को वनों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था और वर्गीकरण के स्वामित्व की प्रकृति की परवाह किए बिना सभी वनों पर लागू होगा। इस प्रकार, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 'वन भूमि' के आगे वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाती है और यह किसी भी भूमि पर लागू होगी जो वन के अधिनियमन के समय (संरक्षण) अधिनियम, 1980 इसके वर्गीकरण या

स्वामित्व के बावजूद 'वन भूमि' थी। [पैरा 15 और 16] [345-ई-एच; 346-ए-एच; 347-ए-बी, एफ]

1.2. उच्च न्यायालय को यह निर्णय लेने के लिए बुलाया गया था कि जिस भूमि पर अपीलकर्ता का फॉरेस्ट हिल गोल्फ और डी कंट्री क्लब स्थित था, वह 25.10.1980 को वर्गीकरण या स्वामित्व के बावजूद वन भूमि थी, यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है और उच्च न्यायालय को चाहिए ने इस तथ्यात्मक प्रश्न का निर्णय दिनांक 25.10.1980 एवं अन्य सरकारी अभिलेखों के आधार पर किया है सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई, लेकिन उच्च न्यायालय ने पीएलपी अधिनियम, 1900 के प्रावधानों और वन विभाग के रिकॉर्ड के संदर्भ में इस प्रश्न का निर्णय लिया, जिसमें इस तथ्य के कारण भूमि को वन विभाग के अधीन दिखाया गया था। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से कई दशक पहले पीएलपी अधिनियम, 1900 के तहत भूमि को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा, एक व्यापक रिकॉर्ड दर्ज करके यह पाया गया कि गांव 'के' में सभी भूमि, इस उद्देश्य के लिए 'वन भूमि' थी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत, उच्च न्यायालय ने कई ग्रामीणों, कृषकों, किसानों, दुकान मालिकों, गांव 'के' के निवासियों के कानूनी अधिकारों को प्रभावित किया, जो पहले भी अपनी भूमि पर अपना-अपना कब्जा कर रहे थे। 25.10.1980 को उक्त अधिनियम का अधिनियमन। उच्च न्यायालय को एफ जी के

संपत्ति अधिकारों को प्रभावित करने वाले निष्कर्षों को दर्ज करने से पहले बहुत सावधान रहना चाहिए था

संविधान के अनुच्छेद 300ए द्वारा संरक्षित व्यक्ति। [पैरा 16] [348-एफ-एच; 349-ए-बी]

1.3. मौजूदा मामले में, राज्य सरकार ने इस न्यायालय के समक्ष अपने हलफनामे में कहा कि पंजाब सरकार के वन विभाग के रिकॉर्ड में गांव 'के' की पूरी भूमि को वन क्षेत्रों में शामिल करने का आधार यह था कि भूमि बंद कर दी गई थी। पीएलपी अधिनियम, 1900 के तहत और इस प्रकार, एक वन क्षेत्र था, यह आधार कानून में सही नहीं है। [पैरा 17] [349-एफ-जी]

1.4. उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को खारिज कर दिया गया है कि गांव 'के' की पूरी भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के प्रयोजन के लिए 'वन भूमि' है। मामले को नए सिरे से सुनवाई और कानून के अनुसार नए आदेश के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया गया है। आक्षेपित आदेश में सभी निर्देश जो उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष से निकले हैं कि भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के प्रयोजन के लिए 'वन भूमि' थी, खारिज कर दी जाती है। आक्षेपित आदेश में सीबीआई द्वारा जांच के निर्देशों को खारिज नहीं किया गया है। [पैरा 18] [349-एच; 350-ए-बी]

टी.एन.गोदावर्मन थिरुमुल्कपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य (1997) 2 एससी 267:1996 (9) पूरक। एससीआर 982; एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (2004)12 एससीसी 118:2004 (3) एससीआर 128; एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य। जेटी 2008 (6) एससी 542:2008 (8) एससीआर 828 संदर्भित।

केस कानून संदर्भ:

(1997) 2 एससी 267 पैरा 3,4,59,10,11,15,16 के लिए संदर्भित,

(2004)12 एससीसी 118 पैरा 10 के लिए संदर्भित,

जेटी 2008 (6) एससी 542 पैरा 10 का हवाला दिया गया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4682-4683/2005

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 1134/2004 और 1850/2004 में दिनांक 12.10.2004 के निर्णय और आदेश से।

साथ

सी.ए. 2005 की संख्या 4799-4800 और 4798।

मोहन जैन, एएसजी। अश्विनी चोपड़ा, वी. के. बाली, पुनीत बाली, ए. मारियारपुथम, अजय बंसल, ए. ए. जी. रुद्रेश्वर सिंह, के. एस. रूपल,

गुरमीत सुलार, देवकी आनंद, रमन वालिया आदित्य सोनी, चिस्टिना कुमार, एलिजाबेथ बार, गोपाल झा, कौशिक पौदार, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अजीत कुमार पाण्डे, समीर अली खान, ए. तिवारी, अश्मी मोहन,श्री पाल सिंह, गुमान सिंह, अनुज प्रकाश, कानन वालिया, प्रशान्त कुमार, रोहित के.सिंह, आलोक कुमार, अशोक धमीजा, अलख आलोक श्रीवास्तव, डी. के. ठाकुर, बी. वी. बलराम दास, सुखबीर कौर बाजवा, एन. के. करहैल, एम. जे. आशा, पी.परमेस्वरन, आशीष कुमार, बिमल रॉय जाड, बी. के. खुराना, ए. डी. एन. राव, राकेश कुमार, कुलदिप सिंह, जगजीत सिंह।छाबड़ा, परदमन सिंह, धीरज यादव, गौरव यादव,विवेक गोयल राजीव कुमार, एन. जी. देव उपस्थित दलों के लिए

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

ए. के. पटनायक, जे.

1. ये सिविल अपीलें सीडब्ल्यूपी संख्या 1134 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के दिनांक 12.10.2004 के सामान्य आदेश के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति के माध्यम से दायर की गई हैं। 2004 और 2004 का सीडब्ल्यूपी नंबर 1850।

मामले के तथ्य:

2. 2004 की सीडब्ल्यूपी संख्या 1134 एक जनहित याचिका है, जिस पर 22.01.2004 को हिंदुस्तान टाइम्स ('एचटी चंडीगढ़ लाइव') में प्रकाशित एक समाचार के आधार पर उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया था। इस समाचार का शीर्षक 'फॉरेस्ट हिल क्लब सेंट्रल गवर्नमेंट स्कैनर के तहत' था, और इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पाया है कि चंडीगढ़ के पास रोपड़ जिले के गांव करोरन में एक फॉरेस्ट हिल गोल्फ एंड कंट्री क्लब है। एच में विकसित किया जा रहा है, जो पर्यावरण और वन कानूनों का भी घोर उल्लंघन है जैसा कि दिसंबर 1996 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश थे। 'समाचार आइटम में आगे कहा गया है कि पंजाब सरकार के वन विभाग ने केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय को सूचित किया था कि पूरा क्षेत्र, जिस पर गोल्फ कोर्स स्थापित किया गया था। पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 (संक्षेप में 'पीएलपी अधिनियम, 1900') के तहत बंद कर दिया गया था और यह एक 'वन क्षेत्र' था, जिस पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू थे, लेकिन पंजाब सरकार ने भूमि उपयोग में बदलाव की अनुमति दी बदले में, क्योंकि बड़ी संख्या में शीर्ष आईएएस और आईपीएस अधिकारियों और अन्य निर्णय निर्माताओं को क्लब की मानद सदस्यता दी गई है या उन्हें निजी कार्यों के लिए क्लब के परिसर और सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

3. सीडब्ल्यूपी संख्या 1850/2004 को रणजीत सिंह नामक व्यक्ति ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका के रूप में दायर किया था। रिट याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया था कि करोरन गांव रोपड़ जिले की खरड़ तहसील में स्थित है और चंडीगढ़ के उत्तर-पश्चिम में लगभग आठ किलोमीटर की दूरी पर है और गांव का लगभग 3700 एकड़ का पूरा क्षेत्र पीएलपी अधिनियम के तहत आता है। , 1900, और करोरन गांव के लगभग 3700 एकड़ के इस क्षेत्र को वन विभाग की वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट और वन क्षेत्र के रजिस्टर में भी 'वन क्षेत्र' के रूप में दर्शाया गया है। रिट याचिका में आगे कहा गया है कि इस न्यायालय द्वारा टी.एन.गोदावर्मन थिरुमुल्कपाद बनाम भारत संघ और अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.12.1996 के अनुसार। (1997) 2 एससी 267, पंजाब सरकार द्वारा पंजाब राज्य के वन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गई थी, और इस विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में करोरन गांव के पूरे क्षेत्र को वन क्षेत्र के रूप में शामिल किया था, और तदनुसार एक मार्च, 1997 में राज्य सरकार की ओर से इस न्यायालय में हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें करोरन गांव के पूरे क्षेत्र को पंजाब राज्य के वन क्षेत्रों के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। रिट याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य वन विभाग द्वारा तैयार की गई प्रबंधन योजना में करोरन गांव के पूरे क्षेत्र को वन क्षेत्र के रूप में

शामिल किया गया था और प्रबंधन योजना को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था।

अपने पत्र दिनांक 14.12.1998 के द्वारा। रिट याचिका में मामला यह बताया गया कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 करोरन गांव की किसी भी भूमि पर लागू थी और इसलिए, बिना केंद्रीय सरकार की.पूर्व अनुमति के बिना भूमि को गैर-वन गतिविधियों के लिए डायवर्ट नहीं किया जा सकता था।

4. कर्नल बी.एस. संधू, जो मालिक/प्रबंधक थे फ़ॉरेस्ट हिल गोल्फ एंड कंट्री क्लब के निदेशक ने तर्क दिया उच्च न्यायालय के समक्ष केवल इसलिए कि ग्राम करोरन है पीएलपी अधिनियम 1900 के तहत आने वाली सी, करोरन गांव के क्षेत्र में शामिल भूमि 'वन भूमि' नहीं बनती है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि गांव करोरन में जिस जमीन पर फॉरेस्ट हिल गोल्फ एंड कंट्री क्लब का निर्माण किया गया है, वह निजी भूमि थी, जो उनके द्वारा गठित दशमेश एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा आठ साल की अवधि के लिए विभिन्न मालिकों और कुछ जमीनों से बिक्री कार्यों के माध्यम से हासिल की गई थी। कृषि भूमि हैं और कुछ भूमि अनुपयोगी बंजर भूमि (गैर मुमकिन पहाड़) हैं और जब तक वन अधिनियम, 1927 की धारा 35 के तहत एक औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, जो एक निजी भूमि को 'वन भूमि' के रूप में अधिसूचित करती है, एक निजी भूमि को

'वन भूमि' के रूप में अधिसूचित नहीं किया जा सकता है। 'वन भूमि' हो. कर्नल बी.एस. संधू ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह भी दलील दी कि यह तथ्य कि राज्य वन विभाग ने करोरन गांव की पूरी भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में दिखाया है, यह भी करोरन गांव की पूरी भूमि को 'वन भूमि' नहीं बनाता है। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष आगे तर्क दिया कि राज्य सरकार के राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियों से पता चलता है कि करोरन गांव में जिस भूमि पर क्लब स्थापित किया गया है वह 'वन भूमि' नहीं है। हालाँकि, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया कि टी.एन.गोडावर्मन थिरुमुल्कपाद बनाम भारत संघ और अन्य में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार। (सुप्रा) 12.12.1996 को, पंजाब राज्य द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने शुरू में गांव करोरन में निजी भूमि मालिकों के स्वामित्व वाले 3700 एकड़ सहित सभी वन क्षेत्रों को 'वन भूमि' के रूप में पहचाना और 21.02-1997 को एक हलफनामा भी दायर किया गया था। में पंजाब सरकार के वन विभाग की ओर से इस न्यायालय में तदनुसार, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे के अनुसार, इस न्यायालय द्वारा आई.ए. में आदेश पारित किए गए थे। टी.एन. में नंबर 727 गोदावर्मन थिरुमुल्कपाद का मामला (डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 202/1995) पंजाब राज्य में 'वन क्षेत्रों की सूची' से करोरन गांव में आबादी के तहत भूमि के बड़े हिस्से को हटा रहा है।

5. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने कर्नल बी.एस. की ओर से दी गई दलीलों को खारिज कर दिया। संधू ने 2005 की सिविल अपील संख्या 4682-4683 में कहा कि गांव करोरन की पूरी भूमि जिसे पीएलपी अधिनियम, 1900 की धारा 3 के तहत अधिसूचित किया गया है और उपरोक्त पीएलपी की धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचित निषेधात्मक निर्देशों द्वारा विनियमित है। अधिनियम, 1900 'वन भूमि' है और यदि इसका उपयोग 'गैर-वन उद्देश्य' के लिए किया जाना है तो इस पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के प्रावधान लागू होते हैं। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि पंजाब सरकार के वन विभाग के रिकॉर्ड में, करोरन गाँव की पूरी भूमि को 'वन भूमि' के रूप में दिखाया गया था और भूमि की प्रकृति के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियाँ बदल दी गई थीं। कर्नल बी.एस. के आदेश पर पंजाब सरकार के राजस्व विभाग के अधिकारी। संधू का स्पष्ट कारण यह था कि वह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जमीन के इस बड़े हिस्से पर नजर गड़ाए हुए थे। इसलिए, उच्च न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड की नवीनतम प्रविष्टियों को खारिज कर दिया और इसके बजाय वन विभाग के रिकॉर्ड को यह मानने के लिए स्वीकार कर लिया कि विचाराधीन भूमि 'वन भूमि' थी। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि टी.एन.गोदावर्मन के मामले में, इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.12.1996 में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 में आने वाले "वन भूमि' शब्द को परिभाषित किया है, जिसमें न केवल 'वन'

को शामिल किया गया है, जैसा कि समझा गया है शब्दकोश अर्थ में, लेकिन स्वामित्व की परवाह किए बिना सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज कोई भी क्षेत्र। उच्च न्यायालय ने माना कि गांव करोरन की भूमि पंजाब सरकार के वन विभाग के रिकॉर्ड में 'वन' के रूप में दर्ज थी। भूमि', वही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अर्थ में 'वन भूमि' थी। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि करोरन गांव में पूरी 3700 एकड़ भूमि की पहचान की गई थी पंजाब राज्य द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा दिनांक 19.02.1997 की अपनी रिपोर्ट में 'वन भूमि' के रूप में और राज्य सरकार ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.02.1997 को अपना हलफनामा दायर किया। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि करोरन गांव में इन जमीनों में से कुछ के मालिकों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों और कई अभ्यावेदन के अनुसार, राज्य सरकार ने इस मुद्दे की नए सिरे से जांच की और भूमि के एक हिस्से को 'सूची' से बाहर कर दिया। वन क्षेत्रों का', लेकिन कर्नल बी.एस. संधू और उनके सहयोगियों को राज्य सरकार के इस रुख से कोई लाभ या लाभ नहीं मिल सकता है।

6. उपरोक्त निष्कर्षों के साथ, उच्च न्यायालय ने कर्नल बी.एस. को निर्देश देने वाली रिट याचिकाओं को अनुमति दे दी। संधू और उनके द्वारा बनाई गई कंपनियों और/या सोसायटियों को 'फॉरेस्ट हिल कंट्री क्लब रिज़ॉर्ट और गोल्फ कोर्स' के नाम से जाने जाने वाले अपने पूरे उद्यम को

तुरंत बंद करने और तीन महीने की अवधि के भीतर सभी अवैध रूप से निर्मित इमारतों को ध्वस्त करने और उन्हें सौंपने का आदेश दिया गया। राज्य वन विभाग को विचाराधीन भूमि का 'प्रबंधन' और 'नियंत्रण'। उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार के राजस्व विभाग को गांव करोरन, तहसील खरड़, जिला रोपड़ की राजस्व संपत्ति के भीतर आने वाली 'वन भूमि' के संबंध में 'अधिकारों के रिकॉर्ड' में सभी आवश्यक सुधार करने का भी निर्देश दिया। पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से फॉरेस्ट हिल रिज़ॉर्ट को बिजली की आपूर्ति तुरंत बंद करने का आदेश दिया और पंजाब सरकार के एफ उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के आयुक्त को फॉरेस्ट हिल रिज़ॉर्ट के पक्ष में जारी एल-2 लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को अपने निदेशक के माध्यम से एक विशेष जांच दल गठित करने का भी निर्देश दिया, जिसका नेतृत्व डिप्टी महानिरीक्षक रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा, जो शीर्ष कार्यकारी की जवाबदेही के सवाल की गहन जांच करेगा। पंजाब सरकार के संबंधित विभागों के प्रशासनिक पदाधिकारियों, केंद्र सरकार के कुछ अधिकारियों को गांव करोरन में फॉरेस्ट हिल गोल्फ और कंट्री क्लब की स्थापना और विकास के संबंध में और क्या कोई है, इसकी रिपोर्ट देनी है।

उनमें से एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संतुष्टि लेने में लिप्त था और/या आचरण नियमों का उल्लंघन कर रहा था और कर्नल के पास वास्तव में कितनी जमीन है, इसकी जांच करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए

केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। .बी.एस. संधू, उनके परिवार के सदस्य और/या उनके द्वारा बनाई गई सोसायटी/कंपनियां।

7. आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर, कर्नल बी.एस. संधू ने 2005 की सिविल अपील संख्या 4682-4683 दायर की है। आक्षेपित आदेश से दुखी होकर, करोरन गांव के कुछ कृषकों, घर मालिकों और दुकान मालिकों ने 2005 की सिविल अपील संख्या 4799-4800 और भारतीय किसान यूनियन, जो एक है, दायर की है। किसानों के संघ ने 2005 की सिविल अपील संख्या 4798 दायर की है, जिसमें विशेष रूप से उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को चुनौती दी गई है कि करोरन गांव की पूरी भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत कवर की गई 'वन भूमि' है और केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना इसका उपयोग गैर-वन उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है।

पार्टियों की ओर से तर्क:

8. इन अपीलों की सुनवाई में, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष है कि गाँव करोरन, जिला रोपड़ की संपूर्ण भूमि, जिसे पीएलपी अधिनियम, 1900 की धारा 3 के तहत अधिसूचित किया गया है और जिसे पीएलपी अधिनियम, 1900 की धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचित निषेधात्मक

निर्देशों द्वारा विनियमित किया जा रहा है, 'वन भूमि' कानून में सही नहीं है। उन्होंने यह दिखाने के लिए पीएलपी अधिनियम, 1900 के प्रावधानों का उल्लेख किया कि उपरोक्त अधिनियम शिवालिक पर्वत श्रृंखला के भीतर या उसके निकट स्थित भूमि को संरक्षित और संरक्षित करने के लिए था। उन्होंने तर्क दिया कि इसलिए पीएलपी अधिनियम, 1900 की धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना में 'वन' और 'गैर-वन भूमि' दोनों शामिल हैं और इसलिए पीएलपी अधिनियम, 1900 की धारा 3 के तहत एक अधिसूचना उक्त अधिनियम के तहत एक विशेष भूमि को बंद कर देती है। भूमि को 'वन भूमि' नहीं बनाया जाएगा।

9. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा

उच्च न्यायालय ने केवल वन विभाग के रिकॉर्ड को देखा है जिसमें रोपड़ जिले के गांव करोरन में 3700 एकड़ की पूरी भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में दिखाया गया था। उनका तर्क था कि जो भूमि वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है, वह केवल इसलिए 'वन भूमि' नहीं बन जाती क्योंकि वन विभाग उस भूमि पर नियंत्रण रखता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि टी.एन. में इस न्यायालय के दिनांक 12.12.1996 के आदेश के अनुसार पंजाब सरकार की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया था। गोदावर्मन थिरुमुल्कपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य। (सुप्रा), फरवरी में पंजाब राज्य में वन क्षेत्रों की पहचान के लिए राज्य सरकार द्वारा

गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर। 1997 में कहा गया था कि गाँव करोरन, जिला रोपड़ में पूरी 3700 एकड़ भूमि 'वन भूमि' थी, लेकिन बाद में राज्य सरकार को गलती का एहसास हुआ और गाँव करोरन में भूमि के कुछ हिस्सों को बाहर करने के लिए अक्टूबर, 1999 में इस न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर किया गया। जिला रोपड़, पंजाब राज्य द्वारा पहले इस न्यायालय को सौंपी गई 'वन क्षेत्रों' की सूची से यह कहते हुए कि ऐसी भूमि खेती और मानव निवास के अधीन थी और जो किसान भूमि पर खेती कर रहे थे और जो भूमि पर रह रहे थे, उन्हें भारी नुकसान होगा। यदि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के प्रयोजन के लिए भूमि 'वन भूमि' बनी रहती है तो कठिनाई।

10. दूसरी ओर, पंजाब राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के प्रयोजन के लिए कोई विशेष भूमि 'वन भूमि' है या नहीं, इसका निर्णय इसके अनुसार किया जाना चाहिए। टी.एन. में इस न्यायालय का आदेश दिनांक 12.12.1996 गोदावर्मन थिरुमुल्कपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य। (सुप्रा) क्योंकि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 या भारतीय वन अधिनियम, 1927 में वन की कोई परिभाषा नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह न्यायालय एम.सी. में है। मेहता बनाम भारत संघ [(2004)12 एससीसी 118-(इसके बाद इसे 'प्रथम एम.सी. मेहता केस' के रूप में संदर्भित किया गया है) ने यह विचार किया है कि यदि राज्य वन विभाग किसी विशेष

क्षेत्र को वन के रूप में मानता और दिखाता रहा है, तो वह क्षेत्र इलाज किया जाना है।

वन के रूप में और यदि ऐसे क्षेत्र का उपयोग गैर-वन उद्देश्यों के लिए किया जाना था, तो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस दृश्य को एम.सी. में इस न्यायालय द्वारा फिर से समर्थन दिया गया था। मेहता बनाम भारत संघ और अन्य। [जेटी 2008 (6) एससी 542-(इसके बाद इसे 'दूसरा एम.सी. मेहता मामला' कहा जाएगा)। उन्होंने यह दिखाने के लिए पूर्वी पंजाब (वन विभाग) की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला दिया कि गांव करोरन, जिला रोपड़ की पूरी जमीन पीएलपी अधिनियम के तहत है। 1900 वन विभाग के अधीन था और प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय के प्रथम और द्वितीय एम.सी. के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए। मेहता मामलों में, गाँव करोरन, जिला रोपड़ की पूरी ज़मीन, जिसमें कर्नल बी.एस. की ज़मीन भी शामिल है। संधू 'वन भूमि थी और इसे केंद्र सरकार की अनुमति के बिना गैर-वन उद्देश्यों के लिए डायवर्ट नहीं किया जा सकता था, जैसा कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 में प्रावधान है।

11. केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (संक्षेप में 'सीईसी') के सदस्य सचिव ने टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुल्कपाद बनाम भारत संघ और अन्य (सुप्रा) (रिट याचिका संख्या 202, 1995) में एलए *727* के रिकॉर्ड का

हवाला दिया। यह दिखाने के लिए कि वन क्षेत्रों की सूची से पीएलपी अधिनियम, 1900 के तहत बंद 1,68,224 हेक्टेयर में से 69,367 हेक्टेयर क्षेत्र को बाहर करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव की सीईसी द्वारा जांच की गई थी और सीईसी का विचार था कि 25.10.1980 से पहले यानी जब वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अधिनियमित किया गया था, उन क्षेत्रों को हटाना वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की भावना के विरुद्ध नहीं होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सीईसी हालाँकि, उनका यह भी विचार था कि ऐसे क्षेत्रों को वन क्षेत्रों की सूची से हटाने के लिए वन (संरक्षण) नियम, 1981 में निर्धारित प्रक्रिया और वन (संरक्षण) के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश अधिनियम 1980 का पालन करना होगा।

इस न्यायालय के निष्कर्ष:

12. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम पाते हैं

यही कारण है कि फरवरी, 1997 में राज्य सरकार द्वारा इस न्यायालय को सौंपी गई 'वन भूमि' की सूची में रोपड़ जिले के करोरन की पूरी 3700 एकड़ भूमि को शामिल किया गया था, जो कि वन विभाग, सरकार के रिकॉर्ड में है। पंजाब, उक्त भूमि को वन विभाग, 8 पंजाब सरकार के अधीन दिखाया गया था। इसलिए, हमने 22.02.2014 को राज्य सरकार की ओर से दायर संकलन में शामिल पूर्वी पंजाब (वन विभाग) की वार्षिक रिपोर्ट की जांच की है और हमने पाया है कि गांव करोरन, जिला

रोपड़ में भूमि भूमि के रूप में दर्ज है। वन विभाग के नियंत्रण में क्योंकि भूमि पीएलपी अधिनियम, 1900 के तहत बंद कर दी गई थी। यह श्री जे.एस. के शपथ पत्र के पैराग्राफ 5 से भी स्पष्ट है। केसर, आईएएस, वित्तीय आयुक्त और सचिव, पंजाब सरकार, वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग, अक्टूबर, 1999 में इस न्यायालय में दायर की गई याचिका यहां नीचे दी गई है:

> "5. पहले के हलफनामे में पीएलपीए, 1900 के तहत बंद किए गए सभी क्षेत्रों को "वन क्षेत्रों" के रूप में शामिल करने का आधार यह था कि कई दशकों से वन विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट में "बंद" श्रेणी के तहत रिपोर्ट की जा रही थी। पीएलपीए 1900 के तहत"। हालांकि पीएलपीए 1900 के तहत बंद किए गए क्षेत्रों को विशेष रूप से वन क्षेत्रों के रूप में दर्ज नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें राज्य वन विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट में शामिल किया गया था। इस प्रकार, वृक्ष आवरण वाले क्षेत्रों के अलावा यहां तक कि खेती वाले खेत और पीएलपीए, 1900 के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में बस्तियों को विशेषज्ञ समिति द्वारा 'वन क्षेत्रों' के रूप में दर्शाया गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा दायर दिनांक 21.2.1997 के हलफनामे के अनुलग्नक-जी में शामिल किया गया था।

यह इस प्रकार है दोहराया कि विशेषज्ञ समिति ने पीएलपीए, 1900 के तहत बंद किए गए खेती/आवास क्षेत्रों को वन क्षेत्रों की सूची में केवल इसलिए शामिल किया क्योंकि इन्हें विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट में "पीएलपीए 1900 के तहत बंद किए गए क्षेत्र" के रूप में शामिल किया गया था।

इस प्रकार, इस न्यायालय में राज्य सरकार के हलफनामे में ग्राम करोरन की संपूर्ण भूमि को वन क्षेत्र के रूप में शामिल करने का आधार यह है कि भूमि पीएलपी अधिनियम, 1900 के तहत बंद थी और इसलिए वन क्षेत्र थी।''

13. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में यह भी माना है कि चूँकि गाँव करोरन, जिला रोपड़ की पूरी भूमि पीएलपी अधिनियम, 1900 में बंद कर दी गई थी, यह वन की धारा 2 के प्रयोजन के लिए 'वन भूमि' थी। (संरक्षण) अधिनियम, 1980। उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश का अनुच्छेद 53 यहां नीचे उद्धृत किया गया है:

53. उपर्युक्त कारणों के लिए और टी.एन. में उनके आधिपत्य द्वारा परिभाषित "वन" और "वन भूमि" अभिव्यक्ति पर भरोसा करते हुए, गोदावर्मन का मामला (सुप्रा) और एम.सी. में निर्धारित सिद्धांत। मेहता के

मामले (सुप्रा) में, हम मानते हैं कि करोरन गांव की पूरी भूमि, जिसे पीएलपीए, 1900 की धारा 3 के तहत अधिसूचित किया गया है और उसकी धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचित निषेधात्मक निर्देशों द्वारा विनियमित है, एक "वन भूमि" है और आकर्षित करती है संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के प्रावधान, यदि 'गैर वन उद्देश्यों' के लिए उपयोग करने की मांग की जाती है।

14. इसलिए, पहला प्रश्न जो हमें तय करना है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय का निष्कर्ष है कि भूमि जो पीएलपी अधिनियम, 1900 की धारा 3 के तहत अधिसूचित है और धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचित निषेधात्मक निर्देशों द्वारा विनियमित है। उपरोक्त अधिनियम 'वन भूमि' कानूनन सही है। पीएलपी अधिनियम, 1900 की धारा 3, 4 और 5, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, यहां नीचे दी गई हैं।

3. जब भी स्थानीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला के भीतर या उसके निकट स्थित या उस सीमा में जंगल के उजाड़ने से प्रभावित या प्रभावित होने वाले किसी स्थानीय क्षेत्र के बेहतर संरक्षण और संरक्षण के लिए प्रदान करना वांछनीय है या चॉइस की कार्रवाई से, ऐसी सरकार, अधिसूचना द्वारा, तदनुसार निर्देश दे सकती है।

4. आम तौर पर धारा 3 के तहत अधिसूचित क्षेत्रों, या ऐसे किसी भी क्षेत्र के पूरे या किसी हिस्से के संबंध में, स्थानीय सरकार, सामान्य या

विशेष आदेश द्वारा, अस्थायी या स्थायी रूप से, विनियमित, प्रतिबंधित या प्रतिबंधित कर सकती है-

(ए) धारा 3 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन से पहले उस भूमि को साफ करना या तोड़ना या खेती करना जो आमतौर पर खेती के अधीन नहीं है;

(बी) उन स्थानों पर पत्थर की खुदाई, या चूने को जलाना, जहां धारा 3 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन से पहले ऐसे पत्थर या रेखा का आमतौर पर उत्खनन या जलाया नहीं गया था;

(सी) इस उपधारा के खंड (बी) में वर्णित के अलावा, घास के अलावा किसी भी वन-उपज की कटाई या पेड़ या लकड़ी, या संग्रह या निष्कासन या किसी भी विनिर्माण प्रक्रिया के अधीन, प्रामाणिकता को छोड़कर घरेलू या कृषि प्रयोजन;

(डी) पेड़ों, लकड़ी या वन उपज को आग लगाना;

(ई) भेड़ या बकरियों का प्रवेश, पशुपालन, चरागाह या प्रतिधारण;

(एफ) ऐसे किसी क्षेत्र से निकलने वाली वन-उपज की जांच; और

(जी) किसी ऐसे क्षेत्र की सीमा के भीतर या उसके आसपास स्थित कस्बों और गांवों के निवासियों को वहां से अपने उपयोग के लिए कोई पेड़, लकड़ी या वन उपज लेने, या भेड़ या बकरियों को चराने या चराने के

लिए परमिट देना। उसमें खेती करना या इमारतें खड़ी करना और ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसे परमिट का उत्पादन और वापसी,

5. किसी भी क्षेत्र की सीमा के भीतर शामिल किसी भी निर्दिष्ट गांव या गांवों या उसके हिस्से या हिस्सों के संबंध में धारा 3 के तहत अधिसूचित, स्थानीय सरकार, विशेष आदेश द्वारा, अस्थायी रूप से विनियमित, प्रतिबंधित या प्रतिबंधित कर सकती है-

''(ए) धारा 3 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन से पहले आमतौर पर खेती के तहत किसी भी भूमि पर खेती करना:

(बी) किसी पत्थर का उत्खनन या किसी चूने को उन स्थानों पर जलाना जहां धारा 3 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन से पहले ऐसे पत्थर या चूने का आमतौर पर उत्खनन या जला दिया जाता था;

(सी) वास्तविक घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिए किसी वन-उपज के इस उपधारा के खंड (बी) में वर्णित के अलावा, पेड़ों या लकड़ी को काटना या संग्रह करना या हटाना या किसी विनिर्माण प्रक्रिया के अधीन करना; और

(डी) आम तौर पर भेड़ और बकरियों के अलावा, या ऐसे मवेशियों के किसी भी वर्ग या विवरण के मवेशियों का प्रवेश, पशुपालन, चरागाह या प्रतिधारण।"

15. ऊपर दी गई पीएलपी अधिनियम, 1900 की धारा 3 की भाषा से यह स्पष्ट हो जाएगा कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला के भीतर या उसके निकट स्थित किसी भी स्थानीय क्षेत्र के बेहतर संरक्षण और संरक्षण के लिए, जो वनों के प्रभावित होने के लिए उत्तरदायी है। उस सीमा या "चो" की कार्रवाई से, ऐसी सरकार अधिसूचना द्वारा तदनुसार एक निर्देश दे सकती है। अभिव्यक्ति "स्थानीय क्षेत्र" को पीएलपी अधिनियम, 1900 में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें न केवल 'वन भूमि' बल्कि अन्य भूमि भी शामिल हो सकती है। पीएलपी अधिनियम, 1900 की उपरोक्त धारा 4 में, स्थानीय सरकार को सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, अस्थायी या स्थायी रूप से खंड (ए), (बी), (सी), (डी) (इ), (एफ) और (जी)। इन खंडों को पढ़ने से पता चलता है कि धारा 3 के तहत अधिसूचित क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित कस्बों और गांवों के निवासियों द्वारा खेती, भेड़ और बकरियों को चराने और इमारतों के निर्माण जैसी गतिविधियों को विनियमित, प्रतिबंधित या प्रतिबंधित किया जा सकता है। स्थानीय सरकार का एक सामान्य या विशेष आदेश। ये सभी गतिविधियाँ सामान्यतः जंगलों में नहीं चलतीं। इसी प्रकार, पीएलपी अधिनियम, 1900 की धारा 5 के तहत, स्थानीय सरकार को विशेष आदेश द्वारा अस्थायी या स्थायी रूप से किसी भी भूमि पर खेती को विनियमित करने, प्रतिबंधित करने या प्रतिबंधित करने या भेड़ और बकरियों के अलावा आम तौर पर मवेशियों को चराने या रखने का अधिकार दिया गया था। ये गतिविधियां भी

आमतौर पर जंगलों में नहीं की जातीं। इसलिए, हमारे विचार में, जो भूमि पीएलपी अधिनियम, 1900 की धारा 3 के तहत अधिसूचित है और पीएलपी अधिनियम, 1900 की धारा 4 और 5 के तहत स्थानीय सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित है, वह वन भूमि हो भी सकती है और नहीं भी। इसलिए, आक्षेपित आदेश में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष है कि गांव करोरन, जिला रोपड़ की संपूर्ण भूमि, जिसे पीएलपी अधिनियम, 1900 की धारा 3 के तहत अधिसूचित किया गया है और उसकी धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचित निषेधात्मक निर्देशों द्वारा विनियमित है। क्या वन भूमि कानूनन बिल्कुल भी सही नहीं है। टीएन गोदावर्मन थिरुमुल्कपाद बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय के दिनांक 12.12.1996 के आदेश के अनुसार पंजाब राज्य में वन क्षेत्रों की सूची में गांव करोरन, जिला रोपड़ के पूरे क्षेत्र को शामिल करने का आधार एवं अन्य. (सुप्रा) कानूनी तौर पर सही नहीं है। इसी प्रकार, आक्षेपित आदेश में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष है कि गांव करोरन, जिला रोपड़ में पूरी भूमि को पीएलपी अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचित किया गया है। 1900 और उक्त अधिनियम की धारा 4 और 5 के नियामक शासन के तहत वन भूमि होना भी कानूनी रूप से सही नहीं है।

16 वास्तव में, उच्च न्यायालय वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 में वन और वन भूमि के अर्थ को समझने में विफल रहा, जैसा कि इस न्यायालय ने टीएन गोदावर्मन थिरुमुल्कपाद बनाम संघ के मामले में

दिनांक 12.12.1996 के आदेश में दिया था। भारत और अन्य. (सुप्रा)। टीएन गोदावर्मन थिरुमुल्कपाद बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12-12-1996 के प्रासंगिक भाग। (उपरोक्त) यहां नीचे 'वन' और 'वन भूमि' शब्दों का अर्थ निकाला गया है

4. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू किया गया

आगे वनों की कटाई को रोकने के लिए एक दृष्टिकोण जिसके परिणामस्वरूप अंततः पारिस्थितिक असंतुलन होता है; और इसलिए, वनों के संरक्षण और उससे जुड़े मामलों के लिए उसमें किए गए प्रावधान स्वामित्व की प्रकृति या वर्गीकरण की परवाह किए बिना सभी वनों पर लागू होने चाहिए। शब्द "वन को इसके शब्दकोश अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। यह विवरण सभी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वनों को शामिल करता है, चाहे वे वन संरक्षण अधिनियम की धारा 20 के प्रयोजन के लिए आरक्षित, संरक्षित या अन्यथा नामित हों। "वन भूमि" शब्द, धारा 2 में घटित होने वाली घटना में न केवल शब्दकोष के अर्थ में "वन" शामिल होगा, बल्कि स्वामित्व की परवाह किए बिना सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज कोई भी क्षेत्र भी शामिल होगा। धारा 2 के प्रयोजन के लिए इसे इस प्रकार समझा जाना चाहिए अधिनियम। वनों के संरक्षण के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में अधिनियमित प्रावधान और उससे

जुड़े मामले स्वामित्व या वर्गीकरण की परवाह किए बिना इस प्रकार समझे जाने वाले सभी वनों पर स्पष्ट रूप से लागू होने चाहिए।

टी.एन.गोडावर्मन थिरुमुल्कपाद बनाम भारत संघ ई एवं अन्य के मामले में दिनांक 12.12.1996 के आदेश का रेखांकित भाग। (सुप्रा) दिखाएगा कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को "वनों की और अधिक कटाई" की जांच करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था और इसे स्वामित्व या वर्गीकरण की प्रकृति की परवाह किए बिना सभी वनों पर लागू किया जाना था। इसलिए, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 'वन भूमि' के आगे वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाती है और यह किसी भी भूमि पर लागू होगी जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधिनियमन के समय 'वन भूमि' थी, भले ही इसके वर्गीकरण या स्वामित्व का. सीईसी ने भी दिनांक 10.09.2003 को आई.ए. में अपनी सिफारिशों में यही दृष्टिकोण अपनाया है। टी.एन.गोदावर्मन के मामले में *727* (डब्ल्यू.पी. [सी] 1995 की संख्या 202)। एलए में सीईसी की दिनांक 10.09.2003 की सिफारिशों का पैराग्राफ 8। क्रमांक *727* यहां से निकाला गया है:

8. आवेदक द्वारा की गई दलीलों की जांच करने के बाद, पंजाब राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामे और एमओईएफ द्वारा 'अनापत्ति' दिए जाने पर, सीईसी का विचार है कि उन क्षेत्रों को हटाना, जो 25.10.1980 से

पहले खेती/बस्ती के अधीन थे, ले. एफसी अधिनियम का अधिनियमन, एफसी अधिनियम की भावना और माननीय न्यायालय के दिनांक 12.12.1996 के आदेश के विरुद्ध नहीं होगा, यदि ऐसे क्षेत्रों को केवल तकनीकी कारणों से वन क्षेत्र की सूची में शामिल किया गया था। हालाँकि, ये क्षेत्र पीएलपीए की धारा 4 के तहत बंद किए गए क्षेत्र पिछले 40-50 वर्षों से वन विभाग के रिकॉर्ड में 'वन' के रूप में दर्ज हैं। इस माननीय न्यायालय ने दिनांक 12.12.1996 के आदेश द्वारा माना है कि सरकारी रिकॉर्ड में 'वन' के रूप में दर्ज क्षेत्र हैं एफसी अधिनियम की धारा 2 के प्रयोजन के लिए वन। इसलिए निम्नलिखित का पालन करने के बाद "वन क्षेत्र की सूची" से ऐसे क्षेत्रों को हटाने के लिए एफसी अधिनियम की धारा 2 के तहत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होगा। वन (संरक्षण) नियम, 1981 और उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया। मामले की योग्यता के बावजूद, ऐसे क्षेत्र को हटाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा वन (संरक्षण) अधिनियम की निर्धारित प्रक्रिया और प्रावधानों का पालन किए बिना 'वन क्षेत्र की सूची।

इस प्रकार, उच्च न्यायालय को यह निर्णय लेने के लिए बुलाया गया था कि क्या वह भूमि जिस पर कर्नल बी.एस. का फॉरेस्ट हिल गोल्फ और कंट्री क्लब एफ है। 25.10.1980 को संधू वन भूमि पर स्थित था, चाहे उसका वर्गीकरण या स्वामित्व कुछ भी हो। यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है

और उच्च न्यायालय को इस तथ्यात्मक प्रश्न का निर्णय 25.10.1980 के सरकारी रिकॉर्ड और उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अन्य सामग्रियों के आधार पर करना चाहिए था, लेकिन जी उच्च न्यायालय ने प्रावधानों के संदर्भ में इस प्रश्न का निर्णय लिया है पीएलपी अधिनियम, 1900 और वन विभाग के अभिलेखों में भूमि को वन विभाग के अधीन दिखाया गया था क्योंकि यह भूमि वन (संरक्षण) के अधिनियमन से कई दशक पहले पीएलपी अधिनियम, 1900 के तहत बंद कर दी गई थी। अधिनियम, 1980। इसके अलावा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के प्रयोजन के लिए रोपड़ जिले के करोरन गाँव की सभी भूमि को 'वन भूमि' बताते हुए एक व्यापक निष्कर्ष दर्ज करके, उच्च न्यायालय ने कई ग्रामीणों, कृषकों के कानूनी अधिकारों को प्रभावित किया है। किसान, दुकान मालिक, गांव करोरन, जिला रोपड़ के निवासी, जो 25.10.1980 को उक्त अधिनियम के लागू होने से पहले भी अपनी भूमि पर अपना-अपना कब्जा कर रहे थे। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय को उन निष्कर्षों को दर्ज करने से पहले बहुत सावधान रहना चाहिए था जो संविधान के अनुच्छेद 300ए द्वारा संरक्षित व्यक्तियों के संपत्ति अधिकारों को प्रभावित करते हैं।

17. हमने एम.सी. के पहले और दूसरे मामलों में इस न्यायालय के दो निर्णयों की भी जांच की है। मेहता ने पंजाब राज्य की ओर से उद्धृत किया और हमने पाया कि उपरोक्त निर्णय हरियाणा राज्य में अरावली पहाड़ियों के मामले में दिए गए हैं और इसमें यह माना गया था कि राज्य

वन विभाग क्षेत्रों को 'के रूप में मानता और दिखाता रहा है। वन', वास्तव में और कानून में, क्षेत्र वन था और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ऐसे क्षेत्रों में गैर-वन गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। इन दो निर्णयों में इस न्यायालय ने राज्य वन विभाग द्वारा वन क्षेत्रों को शामिल करने के आधार की जांच नहीं की है और न ही इस न्यायालय ने इस बात पर विचार किया है कि क्या धारा 3 के तहत अधिसूचना के तहत इसे शामिल करने मात्र से कोई भूमि 'वन भूमि' बन जाती है। पीएलपी अधिनियम, 1900. दूसरी ओर, वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने इस न्यायालय के समक्ष अपने हलफनामे में कहा है कि गांव करोरन, जिला रोपड़ की पूरी भूमि को वन क्षेत्रों में शामिल करने का आधार रिकॉर्ड में है। पंजाब सरकार के वन विभाग का कहना था कि ज़मीन पीएलपी अधिनियम, 1900 के तहत बंद कर दी गई थी और हमने पाया है कि यह आधार कानून में सही नहीं है।

18. इसलिए, हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को खारिज करते हैं कि गांव करोरन, जिला रोपड़ में पूरी भूमि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के प्रयोजन के लिए 'वन भूमि' है और मामले को वापस भेज देते हैं। नये सिरे से उच्च न्यायालय कानून के मुताबिक सुनवाई और नया आदेश. नतीजतन, आक्षेपित आदेश में सभी निर्देश जो उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निष्कर्ष से निकलते हैं कि भूमि वन (संरक्षण)

अधिनियम, 1980 की धारा 2 के प्रयोजन के लिए 'वन भूमि' थी, खारिज कर दी जाती है। हालांकि, हम, यह स्पष्ट करें कि हमने आक्षेपित आदेश में सीबीआई द्वारा जांच के निर्देशों को रद्द नहीं किया है।

निधी जैन   अपील की अनुमति

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सिद्धार्थ संदू (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।